बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक– 18.07.2007.

विषयः– संविदा के आधार पर नियोजन की प्रकिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत ।

वित्त विभागीय पत्रांक 7752 /वि(2) दिनांक 25.9.02 के तहत राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि सरकार के औपचारिक निर्णय से भिन्न निगमों/स्वशासी निकायों से विभागों में प्रासंगिक संकल्प सं0 7469 दिनांक 16.11.99 के बाद अगर कोई प्रतिनियुक्ति की गयी हो तो उसे तत्काल रद्द कर दिया जाय । साथ ही यह भी संसूचित किया गया था कि अस्थायी योजनाओं में कार्य करने हेतु यदि निश्चित अवधि के लिए कर्मियों की आवश्यकता हो तो संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति सीमित अवधि के लिए करने पर विचार किया जा सकता है; संबंधित प्रशासी विभाग आवश्यकतानुसार प्रस्ताव गठित कर मंत्रिपरिषद की आर्थिक नीति एवं आर्थिक विषयक समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । उक्त के आलोक में कतिपय विभागों द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन के प्रस्ताव में सहमति मांगी जाने लगी है, परन्तु संविदा के आधार पर नियोजन हेतु नीति निर्धारित नहीं होने के कारण ऐसे प्रस्तावों में एकरूपता नहीं रहती है तथा इन पर निर्णय में अनावश्यक विलम्ब होता है । इसके अलावा संविदा पर नियोजन में भी, चाहे वह सीमित/अल्प अवधि के लिए ही क्यों न हो, आरक्षण प्रावधानों के लागू होने, समान अवसर की संवैधानिक अपेक्षाओं के पूरा होने, चयन में पारदर्शिता रहने आदि का ध्यान रखा जाना आवश्यक है । अतः विभागों के ऐसे प्रस्तावों के संदर्भ में, नियोजन में एकरूपता रखने एवं ऐसे नियोजन पर नियंत्रण रखने के प्रयोजनार्थ एक नीति/मार्गदर्शक सिद्धांत का निरूपण राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निम्नांकित नीति/मार्गदर्शक सिद्धांतों को निरूपित करने का निर्णय लिया गया है –

(1) संविदा के आधार पर नियोजन भी स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही किया जायेगा और विज्ञापन के आधार पर ही ऐसा नियोजन किया जा सकेगा ।

(2) ऐसा नियोजन किसी खास प्रयोजन यथा अल्पावधि के लिए किसी स्कीम के तहत ही होगा । परन्तु स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति में विलम्ब होने की स्थिति में भी अल्पावधि के लिए ऐसा नियोजन किया जा सकेगा । परन्तु ऐसा नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध अधिकतम एक वर्ष के लिए होगा ।

18-7-2007

(3) ऐसे नियोजनों में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा । जहाँ नियमित नियुक्ति में विलम्ब के कारण संविदा पर नियोजन की स्थिति हो वहाँ नियमित नियुक्ति के रोस्टर विन्दु का ही अनुपालन किया जायेगा । संविदा के आधार पर नियोजन की समाप्ति के बाद ऐसी रिक्तियों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति के समय उसी रोस्टर विन्दु से नियमित नियुक्तियाँ प्रारम्भ की जायेंगी, जिस रोस्टर विन्दु से प्रारम्भ कर संविदा के आधार पर नियोजन किया गया था ।

(4) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक का निर्धारण विभागीय सचिव, सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारी से गठित समिति द्वारा किया जायेगा । समिति मामले विशेष में बाजार दर को देखते हुए पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी । यदि सरकार में उस तरह का पद उपलब्ध है तो प्रारम्भिक स्टेज का वेतनमान, मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता तथा सभी अन्य श्रेणी के भत्ते जैसे मकान भाड़ा भत्ता को मिलाकर समेकित रूप में जो राशि आयेगी उसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण समिति द्वारा किया जा सकेगा । पारिश्रमिक के भुगतान हेतु बजट में "व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए अदायगियाँ " प्राथमिक इकाई के अंतर्गत राशि का प्रावधान कराया जायेगा तथा उसी से इसका भुगतान किया जायेगा ।

(5) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी । उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा । छह माहों की अवधि के संविदा आधारित नियोजन के संदर्भ में सरकारी सेवकों को अनुमान्य वार्षिक आकस्मिक अवकाशों की कुल संख्या के आधे की संख्या में आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा ।

(6) विभिन्न सेवा/संवर्ग/पद के लिए नियमित भर्ती हेतु जो अर्हताएँ निर्धारित हैं वे ही संविदा के आधार पर उस सेवा/संवर्ग/पद में नियोजन हेतु भी रहेंगी ।

(7) संबंधित विभाग ऐसे नियोजन हेतु चयनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसके द्वारा चयनित/अनुशंसित पैनेल से ऐसा नियोजन किया जा सकेगा । चयन समिति की बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना अनिवार्य होगा ।

(8) संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा होगी ।

(9) संबंधित सेवा/संवर्ग/पद के लिए विहित नियुक्ति प्राधिकार ही संविदा के आधार पर भी नियोजन हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे ।

(10) संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे । संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा ।

18-7-2007

(11) यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी । इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

(12) नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किये जानेवाले व्यक्ति के बीच संलग्न परिशिष्ट–1 में विहित किये गये प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियॉ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी) 18-7-2007
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम–78/2005–का0– 2401 /पटना, दिनांक– 18.07.2007.

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियॉ भेजने हेतु प्रेषित ।

18-7-2007
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम–78/2005–का0– 2401 /पटना, दिनांक– 18.07.2007.

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18-7-2007
सरकार के सचिव

(71)

परिशिष्ट–1

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा.....विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री..... .....के बीच निम्नलिखित शर्त्तों के साथ की जा रही है:–

1. यह नियोजन केवल.....(पद का नाम) के लिए किया जायेगा ।

2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 6 माह के लिए किया जायेगा लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि अगले 6 माह तक बढ़ायी जा सकेगी ;

3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री.....को .....रू0 प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा ।

4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी ।

5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा ।

6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी ।

7. संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

8. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

9. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कंट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी ;

10. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्तें मान्य होगी । नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

.....विभाग, बिहार, पटना

नियोजित व्यक्ति